

क्रमांक :- अज/आर.टी.आई.-2024/

दिनांक : 07.02.2024

श्री एस. के. पाण्डा,
संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.)
डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत (आर.टी.आई. क्रमांक-60) के क्रम में।

प्रसंग :- प्रार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार (कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त ई-मेल दिनांक 24.01.2024) के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में प्रार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार निवासी डीएफसीसीआईएल मारवाड जंक्शन राजस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णितानुसार चाही गई सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त कर अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा दिये गये सभी तथ्य सत्य नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत वापिस ले ली गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(Handwritten Signature)
07/02/2024

(बृज राज)

महाप्रबन्धक/विद्युत/मा0संसा0
डीएफसीसीआईएल, अजमेर